न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी –श्री गोपाललाल स्वर्णकार आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या – 202/2017(राजस्व वाद) दायर दिनांक –4.10.2017

तारीख फैसल– ~~26~~·3·2018 28

1– श्री धनपाल उर्फ पंकज पिता शंकर कटारा
2–श्रीमती चन्दा उर्फ संगीता पिता शंकर कटारा
3– श्रीमती लक्ष्मी पिता शंकर कटारा
4– श्रीमती गीता पिता शंकर कटारा
5– श्रीमती लता पिता शंकर कटारा
6– श्रीमती मंजू पिता शंकर कटारा निवासी आडीवाट सागवाडा तहसील सागवाडा

(वादीगण)

बनाम

1– श्री नानका पिता वेचात कटारा निवासी आडीवाट सागवाडा
2– भूमिधारी तहसीलदार सागवाडा

(प्रतिवादीगण)

वकील वादी –श्री निखिल सोमपुरा

वकील प्रतिवादी संख्या 1 –

प्रतिवादी संख्या 2 – पैरोकार

वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188,209 राज.टि0एक्ट एंव 136 राज0लेण्ड रे0एक्ट बाबत बंटवारा एंव इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

वाद वादी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी संख्या 1 से 6 भाई बहन है प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण का चाचा होकर एक ही गांव के पारिवारीक सदस्य है । यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित वादीगण व प्रतिवादी के संयुक्त खातेदारी खाता मोजा सागवाडा के खाता संख्या 606 नया 567 पुराना में कुल खेत एक रकबा एक बीघा है जिस पर वादीगण का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में चला आ रहा है । वर्तमान में जमाबन्दी में वादी धनपाल उर्फ पंकज व संगीता उर्फ चन्दा का नाम पंकज एंव संगीता दर्ज रेकार्ड है जबकि सभी पहचान एवं राशनकार्ड तथा निर्वाचन नामावली व स्कुल प्रमाण पत्र में पंकज का नाम धनपाल अंकित है तथा संगीता का नाम चन्दा अंकित है । यह कि वादीगण के पिता के पिता वेचात दो पूत्र शंकर व नानका हुए जिसमें नानका अलग है शंकर व नानका का संयुक्त खाता है जिसमें से शंकर की मृत्यु होने से वादीगण के नाम इन्काल खुला है जिसमें शंकर के पूत्र धनपाल व पांच पुत्रियों के नाम नामान्तरकरण दर्ज हुआ है । जिसमें त्रूटि वश वादी संख्या 1 व 2 धनपाल का नाम पंकज एवं चन्दा का नाम संगीता इन्द्राज हो गया है । वादीगण के पिता की मृत्यु के उपरान्त वादी संख्या 6 मंजू को छोडकर शेष सभी नाबालिग होने से वादी संख्या 1 से 5 की वली बहन मंजू के रूप में राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज ह आ है परन्तु वर्तमान में सभी वादीगण बालिग हो चुके है।

यह कि खाता संख्या 606/567 के कुल खसरे एक रकबा एक बीघा को अन्य सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादीगण की जानकारी एंव सहमती के बिना विक्रय

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

करने का अंदेशा है साथ ही उक्त भूमि पर संयुक्त खातेदारी होने से वादीगण विकास कार्य भी नही कर पा रहे है एवं उसे अन्य कई काश्तकारी अधिकारों का उपयोग करने से वंचित रह रहा है साथ ही वादी संख्या 1 व 2 का नाम गलत इन्द्राज हो गया है जिस कारण उसे आये दिन कई परेशानियों का सामना करना पडता है ।

वादीगण द्वारा वाद के अन्त में वादी संख्या 1 व 2 के नाम पंकज की जगह धनपाल एंव संगीता की जगह चन्दा किये जाने ,वादीगण एंव प्रतिवादी के संयुक्त खातेदारी के खाता संख्या 606/567 कुल खेत 1 रकबा एक बीघा के खाते प्रथक प्रथक आधा आधा हिस्सा किया जाने की घोषणा की जाने एवं प्रतिवादी के विरूद्व वादीगण की भूमि में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नही करने जारी किए जाने का निवेदन किया गया है ।

वादीगण ने वाद की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए जमाबन्दी संवत 2073–76 की नकल प्रस्तुत की गई है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जवाब हेतु सम्मन जारी किए गए । प्रतिवादी संख्या 1 दिनांक 21.11.2017 को अनुपस्थित होने से उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए । प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारी की ओर से पैरोकार ने जवाब प्रस्तुत नहीं कर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर आदेश हेतु निवेदन किया । वकील वादी भी सहमत है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी मोजा सागवाडा संवत 2073–76 खाता संख्या 606 पुराना एवं 648 नया में खातेदार के स्थान पर " नानका पिता वेचात भील 1/2 ,मंजू पिता शंकर नाबालिग लक्ष्मी लता गीता संगीता पंकज पिता शंकर वली बहन मंजू पिता शंकर 1/2 हिब कटारा भील सा0देह खातेदार अंकित होकर खसरा नम्बर 3692 रकबा एक बीघा अंकित है । पत्रावली के संलग्न राशनकार्ड में भी नाम धनपाल कटारा , चन्दा ,संगीता , जिनल अंकित है । निर्वाचन पहचान पत्र में भी धनपाल पिता शंकरलाल है । नानका पिता वेचात एंव धनपाल द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र में भी वाद पत्र की ईबारत को स्वीकार किया है ।

उपरोक्तानुसार पत्रावली में उपलब्ध नकल खाता संख्या 648 में खातेदार के स्थान पर संगीता एवं पंकज गलत अंकित होकर प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार सही नाम धनपाल एवं चन्दा होना चाहिए ।

दिनांक 22.1.2018 को वाद वादी स्वीकार किया जाकर मोजा सागवाडा की जमाबन्दी संवत 2073–76 में अंकित खातेदार पंकज एंव संगीता के स्थान पर सही नाम धनपाल एवं चन्दा दर्ज किए जाकर उक्त खाता " नानका पिता वेचात 1/2 ,मंजू ,लक्ष्मी,लता ,गीता,चन्दा,पंकज पिता शंकर 1/2 हि.ब.कटारा भील सा.देह खातेदार " संशोधित किए जाने एवं इस आशय की प्रारम्भिक डिकी जारी की जाती है कि उक्त खाते की आराजी संख्या 3692 रकबा एक बीघा का जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवारा कर बटवारा रिपोर्ट मय नक्शा ट्रैस के तीन प्रति में प्रस्तुत करने तहसीलदार सागवाडा को आदेश दिये गये

तहसीलदार सागवाडा ने अपने पत्र संख्या राजस्व/167 दिनांक 14.3.2018 से बंटवारा रिपोर्ट मय नक्शे के निम्नानुसार प्रस्तुत की गई :–

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

1—खातेदार नानका पिता वेचात भील सा0देह का हिस्सा

| खसरा नम्बर | रकबा | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|
| 3692/2 | 0.10 | सु0 I 0.08<br>बीड 0.02 | 0.72 |

2—खातेदार मंजू पिता शंकर नाबा .लक्ष्मी लता गीता चन्दा धनपाल पिता शंकर वली बहन मंजू पिता शंकर भील सा0देह का हिस्सा

| खसरा नम्बर | रकबा | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|
| 3692/3 | 0.10 | सु. I | 0.86 |

उपरोक्तानुसार बंटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर बंटवारा रिपोर्ट के कम में वकील वादी को सुना गया । वकील वादी ने प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट से सहमत होना बता तदनुसार रेकार्ड में अमल दरामद के लिए निवेदन किया ।

अतः वाद वादी अन्तिम डिकी किया जाकर संलग्न बंटवारा रिपोर्ट (परिशिष्ठ—अ) के अनुसार पक्षकारान के मध्य बंटवारा का रेकार्ड में अमल दरामद किया जाने तहसीलदार सागवाडा को आदेश दिया जाता है । बंटवारा रिपोर्ट परिशिष्ठ— अ निर्णय एंव डिकी का अभिन्न अंग रहेगा ।

निर्णय आज दिनांक 28.3.18 को खूले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो ।

(गोपाललाल स्वर्णकार)
उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner